कार्यालय कलेक्टर (एकीकृत आदिवासी विकास (लघु) परियोजना)

नरसिंहपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कियान्वयन

भारत सरकार के पत्र संलग्न परिशिष्ट ii में प्रस्तावित अधिनियम की धारा 4(1)बी के तहत बिन्दुबार मेनुअल निम्नानुसार हैः–

बिन्दु कमांक–1 संगठन– एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना (माडा पाकेट) नरसिंहपुर।

कार्य एवं कर्तव्यः– विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1)के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के सर्वंगीण विकास हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण उनका संबंधित विभागीय एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वयन।

बिन्दु कमांक–2 अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कर्तव्य तथा अधिकारः–

अ– परियोजना अधिकारी

अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1)के अन्तर्गत योजना निर्माण, क्रियान्वयन ,अनुश्रवण विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।

ब– सहायक सांख्यकीय अधिकारीः–

योजना एवं परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना, संबंधित नस्तियों का संधारण प्रस्तुतीकरण विभिन्न विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त करना बैठकों की जानकारी का संकलन आदि।

स– सहायक ग्रेड–3ः–

लेखा, स्थापना, आवक – जावक शाखा टंकन संबंधी कार्य सम्पादित करना एवं संबंधित नस्तियां का संधारण, प्रस्तुतीरकण

बिन्दुकमांक–3 यह कार्यालय जिला स्तर पर कलेक्टर के नियंत्रण अधीन कार्य करता है अंतिम निर्णय कलेक्टर द्वारा लिये जाते है जिनका क्रियान्वयन परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाता है।

बिन्दु कमांक'4 कर्तव्यों के निर्वहन हेतु म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का पालन किया जाता है।

बिन्दु कमांक–5 कर्मचारी उपस्थिति पंजी, कार्यालयीन आदेश पंजी अवकाश पंजी, सेवा पुस्तिका, जी0पी0एफ0पासबुक,पेंशन पंजी, शिकायतय नस्ती एवं पंजी।

बिन्दु कंमाक–6– निम्नानुसार अभिलेख संधारित हैः–

अ— परियोजना क्षेत्र में शामिल विकासखंडवार 181 ग्रामों की सूची अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं प्रतिशत सहित।

ब'— कार्यालय में प्राप्त आवंटन पंजी व इससे संबंधित नस्तियां।

स'— स्वीकृत कार्यो की पंजी (1)अधोसंरचना संबंधी कार्य (2) हितग्राही मूलक।

बिन्दुकमांक—7 याजना तैयार करने के पूर्व संबंधित ग्राम में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाती है। इसके अनुमोदन उपरान्त योजना स्वीकृत की जाती है।

बिन्दुकमांक—8 वर्तमान में उक्त व्यवस्था नहीं है।

बिन्दु कमांक—9 उपरवर्णित लागू नहीं है।

बिन्दु कमांक—10 उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

बिन्दु कमांक—11 उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

बिन्दु कमांक—12 माडा क्षेत्रान्तर्गत चयनित कलस्टर ग्राम अन्तर्गत हितग्राही मूलक योजना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही को जिसका नाम गरीबी रेखा सूची में दर्ज है प्रति परिवार हितग्राही को अधिकतम 20,000—(अंकन बीस हजार रूपये मात्र) का अनुदान आवंटन की सीमान्तर्गत प्रावधानित है। विभागवार स्वीकृत योजना हेतु गत वर्ष प्रदत्त आवंटन का विवरण निम्नानुसार है।

कमांक	विभाग का नाम	हितग्राही मूलक योजनाओं हेतु पुनरावंटित राशि	हितग्राही संख्या
1	कृषि विभाग	9.404	36
2	पशुचिकित्सा विभाग	18.40	92
3	उद्योग विभाग	2.40	12
4	मत्स्य विभाग	3.616	12
	योग	**33.82**	**152**

बिन्दु कमांक—13:— इस कार्यालय द्वारा प्रदाय नहीं किए जाते है।

बिन्दु कमाक—14:—

अ— उपयोजना क्षेत्र में शामिल ग्रामों की सूची विकासखंडवार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं प्रतिशत सहित।

ब— प्राप्त आंवटन अन्तर्गत स्वीकृत योजना/कार्यकम का विवरण।

बिन्दु कमांक—15 :'— आवक—जावक शाखा में आवेदन पत्र प्राप्त कर पंजीबद्व किया जाकर निर्धारित सीमा मं जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

बिन्दु क्रमांक–16

क्रमांक	नाम	पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष क्रमांक	
				कार्यालय	निवास
1	श्री शैलेन्द्र शर्मा	परियोजना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी	आदिवासी विकास परियोयजना नरसिंहपुर कक्ष क्रमांक 19 नरसिंहभवन	230307	234902
2	श्री एम0के0नामदेव	सहा0सां0अधि0एवं सहा0लो0सूचना अधि0	–’–	–’–	–

बिन्दु क्रमांक–17

अन्य जानकारी निंरक

(शैलेन्द्र शर्मा)
परियोजना अधिकारी
आदिवासी विकास परियोजना
नरसिंहपुर

कार्यालय कलेक्टर(आदिवासी विकास परियोजना)नरसिंहपुर

—0—

क्रमांक/2429 /स्था0 /आविपरि/2005 नरसिंहपुर दिनांक 26/09/2005

प्रति,

कलेक्टर
नरसिंहपुर

विषयः— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के संबंध में।

—0—

विषयान्तर्गत आपके द्वारा समय सीमा पत्र बैठक में दिये गये निर्देशानुसार 16 बिन्दुओं पर मेनुअल तैयार कर संलग्न अनुसार प्रस्तुत है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

परियोजना अधिकारी
आदिवासी विकास परियोजना
नरसिंहपुर